Q भारतीय परिषद् अधिनियम 1861 ई० की मुख्य धाराओं का उल्लेख करें ?

1858 ई० का अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्णतः खरा नहीं उतरा परिणामस्वरूप 3 वर्ष बाद 1861 ई० में ब्रिटिश संसद ने भारतीय परिषद् अधिनियम पारित किया। यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें 'विभागीय प्रणाली' एवं 'मंत्रिमण्डलीय प्रणाली' की नींव रखी गयी। पहली बार विधि निर्माण एवं कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का प्रयास किया गया। 1858 के अधिनियम द्वारा केवल गृह सरकार में ही परिवर्तन हुए थे।

भारतीय संविधान में महान परिवर्तनों की आवश्यकता है, विशेषकर भारतीय लोकमत से निकट का सम्पर्क स्थापित करने की। बार्टल फ्रेयर (Bartle Frere) "जब तक आपके पास कोई वायु दाब मापक यन्त्र अथवा सुरक्षा कपाट के रूप में एक विचार विमर्श परिषद् नहीं होगी, मैं विश्वास करता हूँ, कि आपको इसी प्रकार के अस्पष्ट तथा भयानक विस्फोटों से साक्षात्कार होना ही पड़ेगा।" ठीक इसी प्रकार सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि 1857-58 की घटनाओं का मुख्य कारण शासक और शासित वर्ग के बीच आपस में ताल-मेल का न होना था।

1861 ई० के भारतीय परिषद् अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं —

(केन्द्र)

कार्यपालिका / परिषद् → 1861 अधिनियम के द्वारा वायसराय की कौंसिल में एक और सदस्य बढ़ा दिया गया। अब सदस्यों की संख्या पाँच हो गई। इसके लिये यह आवश्यक था कि वह वित्त और कानून का विशेषज्ञ हो।

विधि-/निर्माण-/सम्बन्धी उपबन्ध → कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका सभा में भी सदस्यों की संख्या बढ़ी गयी इसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य रखे गये, इसके अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष तथा ये सदस्य वाइसराय द्वारा नियुक्त होते थे। जिसमें भारतीय सदस्य को लेने का प्रबंध किया गया।

→ भारत में "Commander in chief" को व्यवस्थापिका-

सभा का विशेष सदस्य नियुक्त किया गया।

→ गवर्नर जनरल को नियम बनाने तथा आदेश देने का अधिकार मिला, अपनी अनुपस्थिति में वे कौंसिल के किसी सदस्य को सभापति बना सकता था। गवर्नर जनरल को कार्य विभाजन का अधिकार मिला इस से "विभाग प्रणाली" की शुरुआत हुई। वाइसराय अकेले कोई कानून नहीं बना सकता था।

→ व्यवस्थापिका सभा का कार्य केवल कानून बना था, वह कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। गवर्नर जनरल कौंसिल के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। अतः उसे अध्यादेश जारी रखने का अधिकार था।

(प्रांत)

→ प्रत्येक प्रांत के गवर्नर को यह अधिकार दिया गया, की वह अपनी परिषद् में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 8 सदस्यों की नियुक्त कर सकता था। परिषद् का कार्य मुख्यतः प्रांत के लिए कानून बनाना था, किन्तु अंतिम स्वीकृत वाइसराय की होती थी।

→ वाइसराय किसी भी प्रांत का विभाजन कर सकता था, अथवा उसकी सीमाओं घटा या बढ़ा सकता था। अथवा उसकी सीमाओं घटा या बढ़ा सकता था।

→ कुछ विशेष विभाग जैसे सार्वजनिक ऋण, मुद्रा, अर्थ, डाक खाना तार टेलीग्राम, धर्म आदि इन विशेष के अतिरिक्त केन्द्रीय अथवा प्रांतीय सरकार में कोई अंतर नहीं रखा गया। गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार मिला, लेकिन अंतिम स्वीकृत वाइसराय ही करते थे। – आवश्यकता यहाँ 'किन्तु'

1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम भारत के वैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अधिनियम 1858 के अधिनियम से बेहतर था क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को कानून निर्माण के कार्य में भाग लेने का अवसर मिला. स्थानीय ज्ञान तथा आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए स्थानीय परिषदें स्थापित अथवा पुनः स्थापित की गई, और कुछ गैर सरकारी तथा भारतीय सदस्यों को परामर्श देने के लिए इन परिषदों का सदस्य बनाया गया। दूसरे इस अधिनियम ने केन्द्रीयकरण की नीति को त्याग कर विकेन्द्रीकरण को प्रारम्भ किया।